राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र
(REVENUE ORDERSHEET)

प्रकरण क्रमांक 14/अपील/14-15

1	2	3
26/03/2015	1- प्रकरण प्रस्तुत । 2- अवलोकन किया गया। यह अपील उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली के राजस्व प्रकरण क्रमांक 22/अ-5/10-11 में पारित आदेश दिनांक 2.08.11 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44(1) के तहत इस न्यायालय में दायर की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का प्रथम तर्क यह है कि मूल प्रकरण बन्दोवस्ती नक्शे के संशोधन बावत था। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107(5) के तहत नक्शे में संशोधन की अधिकारिता बन्दोवस्त कार्यवाही के दौरान बन्दोवस्त अधिकारी को तथा बन्दोवस्त कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त कलेक्टर को है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश अधिकारिता से परे है। उत्तरवादी के अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रकरण अपर कलेक्टर, सिंगरौली के न्यायालय में विचाराधीन था। आदेश पत्रिका दिनांक 10.06.2010 द्वारा प्रकरण निराकरण हेतु उपखण्ड अधिकारी, सिंगरौली को भेजा गया था जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यवाही उपरान्त प्रकरण का निराकरण किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । 3- मैंने प्रकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया । मूल प्रकरण अपर कलेक्टर, वैढ़न के न्यायालय में संस्थित हुआ था जिसमें कार्यवाही के दौरान प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 10.06.2010 में यह लेख किया गया कि :- *"म0प्र0 राजपत्र दिनांक 18.04.2003 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-15/99/ सात-सा-8-89 दिनांक 1 अप्रैल, 2003 द्वारा संहिता की धारा 107(5) के तहत कार्यवाही के अधिकार अधिकार- अभिलेख तैयार करने वाले अधिकारियों को अर्थात अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। कलेक्टर/अपर कलेक्टर के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के मूल मामलों में पारित आदेशों के लिए अपीलीय न्यायालय हैं।*	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2075–दो/16 जिला – सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21/9/16	आवेदक शासन की ओर से श्री डी0 के0 शुक्ला उपस्थित होकर उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा अपने प्रकरण कमांक 14/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 26.3.15 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के राजस्व प्रकरण कमांक 22/अ'5/10–11 में पारित आदेश दिनांक 2.8.11 के तहत इस न्यायालय में दायर किया गया था। 2– अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया था मूल प्रकरण बन्दोवस्ती नक्शे के संशोधन बावत था म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 (5) के तहत नक्शे में संशोधन की अधिकारता बन्दोवस्त कार्यवाही के दौरान बन्दोवस्त अधिकारी को तथा बन्दोवस्त कार्यवाही समाप्त होने के उपरांत कलेक्टर को हैं, उनका कहना है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश अधिकारिता से परे है। उत्तरवादी के अधिवक्ता का तर्क था कि प्रकरण अपर कलेक्टर सिंगरौली ने न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था आदेश पत्रिका 10.6.2010 द्वारा प्रकरण निराकरण हेतु उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली को भेजा गया था	

जिसके उपरांत उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यवाही उपरांत प्रकरण का निराकरण किया गया है।

3— मेरे द्वारा प्रकरण में पैनल अधिवक्ता श्री डी0 के0 शुक्ला के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया जिसमें यह ज्ञात हुआ है कि प्रक़रण अपर कलेक्टर के यहां संस्थित हुआ है तथा दिनांक 10.6.10 में यह लेख किया गया कि :—

,, म0प्र0 रापपत्र दिनांक 18.4.2003 में प्रकाषित अधिसूचना कमांक एफ —15/99/सात—सा—8—89 दिनांक 1 अप्रैल 2003 द्वारा संहिता की धारा 107 (5) के तहत काकर्यवाही केअधिकार अधिकार—अभिलेख तैयारी करने वाले अधिकारियों को अर्थात अनुविभागीय अधिकाररियों को प्रदान किये गये हैं। कलेक्टर/अपर कलेक्टर के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के मूल मामलों में पारित आदेशों के लिये अपीलीय न्यायालय हैं। यह अधिकारिता कलेक्टर को ही है। राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट पर से उपखण्ड अधिकारी को आदेश पारित करने की अधिकारति नहीं है:—

अ— भू—राजस्व संजिता 1959 के अ़ध्याय—7 धारा—65 बंदोवस्त कार्यवाही के दौरान कलेक्टर की शक्तियां बन्दोवस्त अधिकारी में वेष्ठित रहेंगी ।

ब— भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा— 107 (5) —(ऐसा नक्शा राजस्व सर्वेक्षण के समय बदोबस्त अधिकारी द्वारा ओर समस्त अन्य

समयों पर तथा समस्त अन्य परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा यथास्थिति तैयार या पुनरीक्षित किया जायेगा)

भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 चकबंदी की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात इस धारा की उपधारा (5) के अधीन नक्शे के पुनरीक्षण की अधिकारिता कलेक्टर/अपर कलेक्टर के राजस्व न्यायालयों को छोडकर अन्य राजस्व अधिकारी को नहीं है। संहिता की धारा 107 के साथ संहिता की धारा 115, 116 भी पढी जाकर कार्यवाही विचारित होगी। (सीताराम विरूद्व सूरजबाई 1995 रा0 नि0 142 उच्च न्यायालय एवं विजयकोठारी विरूद्व म0प्र0 राजरू 1997 रा0 नि0 189 से अनुसरित) उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नक्शे के सुधार की अधिकारिता कलेक्टर से नीचे के अधिकारी को नहीं है।

4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 14/अपील/14—15 में आदेश दिनांक 26.3.15 में पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करता हूँ। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य